



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16022023-243638
CG-DL-E-16022023-243638

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 682]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 15, 2023/माघ 26, 1944

No. 682]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 15, 2023/MAGHA 26, 1944

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2023

का.आ. 712(अ).—राष्ट्रीय न्यास नियमावली 2000 के नियम 5(2) और राष्ट्रीय न्यास विनियम 2001 के नियम 4(7) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, बोर्ड की बैठक अथवा बोर्ड द्वारा गठित समिति या उप-समिति की बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किसी व्यक्ति या व्यावसायिक हेतु यात्रा भत्ता/महंगाई भत्तों के अतिरिक्त बैठक के प्रत्येक दिवस के लिए बैठक शुल्क को 500 रु. से बढ़ाकर 1000 रु. करने के लिए जो सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से केन्द्र सरकार की नियमावली के अनुसार ग्राह्य होंगे, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग) में भारत सरकार के उपर्युक्त नियमों एवं विनियमों में एतद्वारा संशोधन करती है।

[फा. सं. 26-4/2016-डीडी.III]

राजीव शर्मा, संयुक्त सचिव

नोट: स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु दिव्यांगता ग्रसित व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 को इसके गठन के लिए 30 दिसंबर, 1999 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई।

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT**(Department of Empowerment of Persons with Disabilities)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th January, 2023

S.O. 712(E).—In exercise of the powers conferred under Rule 5(2) of the National Trust Rules 2000 and 4(7) of the National Trust Regulation 2001, the Central Government hereby amends the above Rules and Regulations of the Government of India in the Ministry of Social Justice and Empowerment (Department of Empowerment of Persons with Disabilities) for enhancement of sitting fee for a person or a professional invited to attend a meeting of the Board or a meeting of the committee or a Sub-committee constituted by the Board from rupees five hundred to rupees one thousand for each day of the meeting in addition to the Travelling Allowance/Dearness Allowance as may be admissible as per Central Government rules from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. 26-4/2016-DD.III]

RAJEEV SHARMA, Jt. Secy.

Note : The National Trust for the welfare of persons with autism, cerebral palsy, mental retardation and multiple disabilities Act, 1999 received the assent of the President on 30th December, 1999 for its formation.